पत्र स0 ज्वा0कमि0 (संग्रह) / आर0सी0फीडिग / 2012-13 / 809/1314 12| / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:30जनवरी 2014

समस्त कर निर्धारण अधिकारी
<u>वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।</u>

मुख्यालय के पत्र सं0 रिकवरी इन्ट्री मोड - (2012-13) / 1218 / वाणिज्य कर दि0 28-12-12 से यह निर्देशित किया गया था कि दि0 01-4-13 से समस्त वसूली प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से जारी किये जायेगे। मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है, कि उक्त परिपत्र का अनुपालन कर निर्धारण अधिकारियो द्वारा नही किया जा रहा है जिस पर घोर अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है, तथा इस सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये जा रहें है-

1- कर निर्धारण अधिकरियों द्वारा शत-प्रतिशत नये वसूली प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत किये जायेगे ताकि वसूली प्रमाण पत्रों की संख्या यूनिक नम्बर में हो सके तथा उनका अनुश्रवण किया जा सके। उक्त कम्प्यूटराइज्ड वसूली प्रमाण पत्र की संख्या 14 अंको में होगी।**<u>यथा-1332 LCK 0000001</u>**

- प्रथम दो अंक -वर्ष सूचक (उपर्युक्त में 13 वित्तीय वर्ष 2013-14 का सूचक है)
- तृतीय एवं चतुर्थ अंक -(32) वसूली प्रमाण पत्र का सूचक है।
- पंचम,षष्टम एवं सप्तम अक्षर -(LCK) वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के स्थान के सूचक
- अष्टम से चर्तुदश -(0000001) वसूली प्रमाण पत्र की वास्तविक संख्या

2- त्रुटिपूर्ण वसूली प्रमाण पत्रों की स्थिति में सम्बन्धित ज्वा0कमि0 (कार्य0) के स्तर से सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुमोदन लेकर निरस्त कर शुद्ध वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

3- जिन कर निर्धारण अधिकारियों अथवा डिप्टी कमिश्नर (क0व/क0नि0) के यूजर आई0डी0 या पासवर्ड नियत न हो वे कृपया लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से सम्पर्क कर अपना यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड निर्गत करा लें तथा उसका उपयोग कर नवीन वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ व्यास सेन्ट्रल साफ्टवेयर पर उपलब्ध विभिन्न MIS REPORT का भी उपयोग करना सुनिश्चित करे।

4- वसूली प्रमाण पत्र DISPOSAL के विवरण की प्रविष्टि, निस्तारण (वसूली) के तत्काल बाद सॉफ्टवेयर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाये।

5- एतत् पश्चात् नये मॉग सृजन एवं वसूली की समीक्षा (विशेष कर नई माँग की वसूली) इस साफ्टवेयर के आकडों के दृष्टिगत की जायेगी और यदि किसी अधिकारी द्वारा हस्तलिखित वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रकरण प्रकाश में आया तो इसे विभागीय आदेशों की अवहेलना मानकर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

29.1.2014
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

<u>पृ0प0 सं0 व दि0 उक्त।</u>

प्रतिलिपि 1- समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया एतद् पश्चात उपरोक्तानुसार 14 अंक के अल्फा न्यूमेरिक आर0सी0नम्बर युक्त कम्प्यूटरीकृत वसूली प्रमाण पत्र ही ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय।

4- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

5- समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0व0/ क0नि0) वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश।

(आर0के0पाण्डेय)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह)वाणिज्य कर,
मुख्यालय ,लखनऊ